



भारत में कृषि विकास योजनाओं का मूल्यांकन

डॉ० मुहम्मद फुरकान (शोध निर्देशक)

श्री हीरालाल (शोधार्थी)

अर्थशास्त्र बैंकिंग एवं वित्त संस्थान,

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी, (उ०प्र०)

सारांश —: किसी देश या क्षेत्र के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के आर्थिक घटकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 52 फीसदी, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 31 फीसदी और कृषि एवं इससे सम्बंधित क्षेत्र का 17 फीसदी के लगभग है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और अन्य उद्योगों के विकास का आधार है। देश की आधे से अधिक श्रमशक्ति इस क्षेत्र में कार्यरत है। स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक था जो 2015-16 के मौजूदा मूल्यों पर घटकर 17.5 प्रतिशत ही रह गया है। देश में कृषि विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन निरंतर किया गया है और किया जा रहा है लेकिन आज कृषि क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त होने के बावजूद देश में रोजगार प्रदान करने और खाद्यान्न आपूर्ति एवं आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

मुख्य बिन्दु —: कृषि विकास, कृषि योजनाएं एवं कृषि वित्त।

शोध पत्र के उद्देश्य —: प्रस्तुत वर्तमान शोध पत्र के उद्देश्य निम्न हैं—



-
- भारत में कृषि विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन।
 - कृषि विकास की प्रमुख योजनाओं का मूल्यांकन।

शोध साहित्य का सिंहालोकन – प्रस्तुत शोध पत्र हेतु निम्न शोध पत्रों का सिंहालोकन किया गया—

Dr.Kumuda, “ Agricultural Development in India- An Overview” 2009 , प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में कृषि विकास के बहुत से आयामों का विश्लेषण किया जिसमें कृषि भूमि के पैटर्न, कृषि के बदलते स्वरूप, फसलों के बदलाव के पैटर्न इत्यादि बातों की प्रमुखता चर्चा की गयी है।

Tripathi Amarnath, Prasad A.P “Agricultural Development in India in India since independence: A Study on progress, Performance and Determinants” 2009 शोध में स्वतंत्रता के समय से अद्यतन तक कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति, कार्यकुशलता एवं कृषि आगतों के निर्धारण को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।

Pabha, Goyal R.K., Naik Bindu, Rai Jai P, And Ram Singh, “Role of Government Schemes in Indian Agricultural And Rural Development ” 2016, प्रस्तुत शोध पत्र भारत के कृषि और ग्रामीण विकास में सरकारी योजनाओं की भूमिका, विषय शीर्षक में देश में संचालित कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया है और पाया कि इन योजनाओं और स्कीमों का कृषि और ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि —: प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति वर्णनात्मक है। शोध कार्य पूर्णतया द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। शोध पत्र हेतु सामग्री एवं समकों का संकलन सम्बंधित लेखपत्रों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, इन्टरनेट वेबसाइट आदि के द्वारा किया गया है।



भारत में कृषि विकास एवं योजनाओं का मूल्यांकन —: आजादी के पश्चात भारत के कृषि विकास पर नजर डाले तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि व्यवस्था संकट में थी, जबकि देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करते हुए कृषि से ही अपनी जीविकोपार्जन कर रही थी। कृषि क्षेत्र पूर्णतया मानसून पर निर्भर था। जमींदारी व्यवस्था ने कृषि क्षेत्र को विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त कर दिया था। कृषि व्यवस्था में सुधार हेतु देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1950–51 में योजनाबद्ध तरीके से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके विकास की नींव रखी। देश में कृषि के सर्वांगीण विकास करने एवं कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु अनेक कार्यक्रम, नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था। वर्ष 1949 में तत्कालिक खाद्यान्न संकट के निवारण हेतु "अधि अन्न उपजाओ" आन्दोलन चलाया गया। वर्ष 1960–61 में जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भूमि सुधार कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगान, भू-जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारों की सुरक्षा, वेशीभूमि का भूमिहीनों के मध्य वितरण तथा चकबंदी जैसे अनेक प्रभावी कदम उठाये गए। कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने हेतु सरकार द्वारा नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। नियंत्रित मंडियों की शुरुआत सबसे पहले 1897 में महाराष्ट्र राज्य के बरार क्षेत्र में की गई थी। नियंत्रित मंडियों के स्थापित होने से उपज की नाप-तौल में धाँधली, अनुचित कटौतियों व गुप्त भाव निर्धारण जैसी अनेक क्रियाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जाना संभव हो पाया। 1960 के दशक के मध्य देश में हरित क्रान्ति का शुभारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई तथा काफी हद तक देश खाद्यान्नों के द्रष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकी व मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। 1960–61 में ही एक और अभूतपूर्व भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को



भूमि पर मालिकाना हक दिलाने की ओर कदम बढ़ाया गया। सरकार ने भू-जोतो की अधिकतम सीमा का निर्धारण तथा चकबंदी जैसे प्रभावी कार्यक्रमों के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में कृषि विकास में वित्त की भूमिका को द्रष्टिगत रखते हुए सरकार ने किसानों को उचित ब्याज दरों पर सही समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु संस्थागत साख व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान की। इसके लिए सहकारी ऋण व्यवस्था, बैंको का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एवं नाबार्ड बैंक की स्थापना जैसे प्रभावी कदम उठाए गए। इन कदमों के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य हेतु वित्त सम्बंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु संस्थागत साख की ओर प्रोत्साहित किया गया। वर्ष 1950-51 में कृषि साख में संस्थागत साख का मात्र 3.1 फीसदी था जोकि वर्तमान में बढ़कर 70 फीसदी से अधिक हो गया। वर्ष 1988 में कृषि विपणन के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई जो कि शिक्षण, अनुसंधान व परामर्श के माध्यम से देश में कृषि विपणन व्यवस्था को उन्नत व विकसित करने हेतु प्रयासरत है। यह कृषि संस्थान कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार लाने हेतु अधिक दक्ष प्रबंधन तकनीकों की खोज हेतु अनुसंधान व शोध कार्य में संलग्न है और साथ ही विभिन्न उद्यमों व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। इसी प्रकार किसानों को विभिन्न बाजारों में प्रचलित कीमतों के बारे में जानकारी नहीं होने से नुकसान उठाना पड़ता था इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार रेडियो, टेलिविजन व समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों को नियमित रूप से विभिन्न मंडियों में प्रचलित कीमतों की जानकारी प्रदान कर रही है। सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) की स्थापना की गई जो इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कृषि उपजों के भण्डारण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डारण बोर्ड तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम की स्थापना की गई। इसके बाद राज्यों में भी राज्य गोदाम निगम स्थापित किए गए। ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों के गोदाम अल्पावधि के लिए सदस्यों के उत्पादन, उर्वरक व कृषि आगतों के भण्डारण की व्यवस्था करते हैं। भारत में कृषि कार्य विभिन्न



जोखिमो से युक्त है इस तथ्य को द्रष्टिगत रखते हुए कृषिगत पदार्थों का अति उत्पादन होने कारण उपज के मूल्यों को गिरने से रोकने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा कृषिगत आगतों की लागतें व किसानों के लिए उचित प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार स्वयं सम्पूर्ण उपज खरीदने को तत्पर रहती है जिससे अति उत्पादन की स्थिति में मूल्यों को गिरने से रोका जा सके। नई कृषक योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का कुल बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय से प्राप्त होने वाले कुल मूल्य से कम होने पर क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। इस योजना को गेहूँ व चावल के लिए क्रियान्वित किया गया है। इस योजना से एक तरफ तो किसानों को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सकेगा तो दूसरी ओर सरकार को भी उपज के भण्डारण की व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार चाय, कॉफी, रबड़, व तम्बाकू के मूल्यों में उच्चावचन को नियंत्रित करने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई। इस योजना से चार हेक्टेयर तक की जोतों के किसान के लाभान्वित हो सकते हैं। वर्ष 1998-99 में किसानों को सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत किसानों को देश के विभिन्न बैंकों से आसानी से कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किसानों की कृषिगत कार्यों को करने हेतु आसानी से ऋण उपलब्ध हो रहा है जिससे किसानों को भारी राहत मिली है। विश्व व्यापार संगठन के आगमन साथ ही उदारीकरण व आर्थिक सुधारों के कारण कृषि के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई थीं उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000 में नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इस राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करते हुए आगामी दो दशकों में कृषि क्षेत्र में 4 फीसदी वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस नीति के अन्तर्गत कृषि के टिकाऊ



विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए रोजगार सृजन की संभावनाओं के विस्तार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त घरेलू माँग को पूर्ण करते हुए कृषि उत्पादों के निर्यात में देश को अग्रणी बनाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2001–02 में कृषि निर्यातों में संवर्धन करने हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों को स्थापित किया करने की घोषणा की गई। इसी घोषणा को मूर्त रूप देते हुए उत्तराखण्ड राज्य में बासमती चावल, मध्य प्रदेश में मसालो, पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु में आम, महाराष्ट्र में प्याज तथा उड़ीसा में अदरक व हल्दी के निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए। वर्ष 2004–2009 के लिए घोषित विदेशी व्यापार नीति में भी विशेष कृषि उपज के तहत फल, सब्जी, फूल, डेयरी आदि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए इन उत्पादों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई। 16 अगस्त 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य कृषि में सार्वजनिक निवेश तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुँचाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई। कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी नाबार्ड किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रयासरत है। इसी प्रकार ग्राम आधारित विकास फण्ड की स्थापना गाँवों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु की गई ताकि किसानों वर्ग इससे लाभान्वित हो सके तथा कृषि विकास को सुनिश्चित किया जा सके। सूखे, बाढ़, औलावृष्टि व आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1973 से 1984 तक फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर शुरू की गई। तत्पश्चात वर्ष 1985 में व्यापक फसल योजना आरंभ की गई जो वर्ष 1999–2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है। 13 जनवरी 2016 केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल योजना (PMFBY) शुरू की गई। प्रधानमंत्री फसल योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर



एक सीमा तक कम कर रही है। इस योजना के लिए 8,800 करोड रूपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। किसानो को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत और रबी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगो की स्थिति में किसानो को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानो की आय को स्थायित्व देना, किसानो को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना आदि प्रधानमंत्री फसल योजना के प्रमुख उद्देश्य है। 2 अक्टूबर 2005 को देश के लोगो को एक वर्ष में 100 दिनो का रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत किसानो की पानी की समस्या को दूर करने हेतु तालाबो का निर्माण किया जा रहा है। गाँवो को पक्की सडको से जोड कर किसानो को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना द्वारा साग-सब्जी उगाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। 2004-05 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने देश में कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु जलवायु के अनुकूल कृषि आर्थिक तकनीको के उपयोग तथा हरित क्रांति से लाभान्वित प्रदेशो में अनाज संरक्षण की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया है। कृषि के सामुन्नत बनाने के लिए ग्याहरवी पंचवर्षीय योजना में मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, जल स्रोतो के पुनरुद्धार, ऋण व बीमा सुधार, विपणन व्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी व आगत आपूर्ति में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। फसल की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मिटटी की किस्म, पोषक तत्व व जल ग्रहण क्षमता के महत्व को ध्यान में रखते हुए गाँवो में सचल मिटटी परीक्षण इकाईयाँ स्थापित की गई है। इस प्रकार से किसानो को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि सम्बंधित सूचनाएं शीघ्र व समय से उपलब्ध कराने हेतु ग्राम संसाधन केन्द्रो की स्थापना की गई है। किसानो को फसल की सिंचाई हेतु पानी अभाव वाले क्षेत्रो में ड्रिप सिंचाई तकनीक को प्रोत्साहित किया जा



रहा है जिससे पानी की एक-एक बूँद उपयोग कर अनावश्यक पानी की बर्बादी रोका जा सके और अतिरिक्त पानी को उपयोग में लाया जा सके।

भारत में कृषि विकास हेतु संचालित योजनाएं

भारत में कृषि क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण निम्न है –

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- यूनिफाइड पैकेज इश्योरेंस योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- परंपरागत कृषि विकास योजना
- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन
- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना
- मृदा स्वास्थ्य योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन
- देश में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण
- राष्ट्रीय बोबाइन उत्पादकता मिशन
- राष्ट्रीय बोबाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय डेयरी योजना
- डेयरी उद्यमियता विकास योजना



- नीली क्रांति : एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंध
- जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल योजना
- ब्याज अनुदान योजना
- कृषि विज्ञान केंद्र
- कृषि विपणन पर एकीकृत योजना
- कृषि कल्याण अभियान

इन योजनाओं के अतिरिक्त देश के कृषि विकास हेतु त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास, कृषि विपणन अवसंरचना कोष, ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि संचार, ई-रकम पोर्टल, फार्मर फ्रस्ट इनिशिएटिव, हार्टीनेट-फॉर्मर कनेक्ट एप्प जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष —: कृषि विकास भारत के आर्थिक विकास की महती आवश्यकता होने के कारण इसके विकास हेतु नई-नई योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इन नीतियों एवं योजनाओं के सार्थक परिणाम देश के सामने आए हैं जिसके कारण आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुँच गया है और विदेशी ताकतों की अनचाही शर्तों से देश मुक्त हो गया है। कृषि विकास के कारण धीरे-धीरे किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है लेकिन यहाँ पर यह भी रेखांकित करना आवश्यक है कि आज भी किसानों की वार्षिक आय बहुत ही कम है। पंजाब और हरियाणा राज्यों के किसानों को छोड़कर अन्य राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। सरकार द्वारा समन्वित कृषि विकास की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है जिससे कृषि क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सके एवं कृषि क्षेत्र देश के आर्थिक विकास की गति तेज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।



संदर्भ ग्रंथ सूची

- मोदी कृष्ण मुरारी,(2009), कृषि विकास की दिशा में उठाये गए कदम, कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। पृ.सं. 3-7
- कुमार गौरव,(2014), कृषि विकास के लिए जरूरी है बेहतर ऋण प्रबंधन कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली। पृ.सं. 13
- चन्द्र महेश भारतीय कृषि की आर्थिक समस्यायें, फ्रेडस बुक डिपो यूनीवर्सिटी रोड इलाहाबाद पृ.सं. 14-41
- डॉ० सिन्हा डी० वी० एवं सिन्हा पुष्पा ,समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, एस. वी.पी.डी. पब्लिकेशन आगरा। पृ.सं. 6-7
- डॉ० मिश्र एस० के० पुरी एवं वी० के० पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई। पृ.सं. 137-147
- आर्थिक समीक्षा 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18
- Dr.Kumuda, “ Agricultural Development in India- An Overview” 2009, International Journal of Science and Research, ISSN (online): 2319-7064.
- Tripathi Amarnath, Prasad A.P “Agricultural Development in India in India since independence: A Study on progress, Performance and Determinants” 2009, Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets Volume 1 Issue1 November 2009.
- Pabha, Goyal R.K., Naik Bindu, Rai Jai P, And Ram Singh, “Role of Government Schemes in Indian Agricultural And Rural Development ” 2016, Indian Agriculture and Farmer.



- www.amarujala.com
- www.bhaskar.com
- www.krishijagran.com
- www.nabard.org/hindi/contents